न्यायालय न्यायनिर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रशासन)बीकानेर

पीठासीन अधिकारी :– श्री ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

न.मु. एफएसएस एक्ट प्रा.पत्र 03/2018

अनवान :–

श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर (हाल मु.चि.एवं स्वा.अधि.सिरोही)

प्रार्थी

–: बनाम :–

1. सुधीर राठी पुत्र उमाशकर राठी जस्सुसर गेट के बाहर, 15 नं. स्कूल के सामने, बीकानेर (खाद्य कारोबारकर्ता) मैसर्स श्रीकृष्णा स्वीट्स, जस्सुसर गेट के बाहर, बीकाजी शोरूम के सामने, बीकानेर
2. ओमप्रकाश हर्ष पुत्र देवकृष्ण हर्ष, डी–9 मुरलीधर व्यास नगर, वार्ड नं. 06 बीकानेर एफबीओ एवं नोमिनी निर्माता फर्म) श्रीराम पापड़ प्रा.लिमिटेड, एफ–138–139 बीछवाल औद्योगिक क्षैत्र, बीकानेर
3. श्रीराम पापड़ प्रा.लिमिटेड, एफ–138–139 बीछवाल औद्योगिक क्षैत्र, बीकानेर (निर्माता फर्म) जरिये (एफबीओ एवं नोमिनी) ओमप्रकाश हर्ष पुत्र देवकृष्ण हर्ष, डी–9 मुरलीधर व्यास नगर, वार्ड नं. 06 बीकानेर

अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी पक्ष की ओर से – श्री महमूद अली खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2– अप्रार्थी सं. 1 की ओर से – श्री सी.एस. हर्ष अधिवक्ता
3– अप्रार्थी सं. 2 व 3 की ओर से – श्री मदनलाल बारूपाल अधिवक्ता

–: निर्णय :– दिनांक 24.01.2019

1. इस मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री विनोद कुमार शर्मा खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने इस न्यायालय में एक प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि दिनांक 11.10.2017 को अप्रार्थीपक्ष मैसर्स श्रीकृष्णा स्वीट्स, जस्सुसर गेट के बाहर, बीकानेर (खाद्य कारोबारकर्ता) श्री सुधीर राठी पुत्र उमाशंकर राठी के यहां दुकान का निरीक्षण दौरान अलमारी की रैक में मौजूद खाद्य पदार्थ भुजिया(श्रीराम ब्राण्ड) 400 ग्राम के कुल 12 पैक्ड आम जनता को विक्रय वास्ते रखे हुवे थे। तदन्तर मिलावट का शक होने पर उक्त खाद्य पदार्थ भुजिया(श्रीराम ब्राण्ड)पैकेटो में से 4 पैकेट प्रत्येक 400 ग्राम खाद्य पदार्थ भुजिया(श्रीराम ब्राण्ड) नमूना हेतु संग्रह कर कुल कीमत रू. 240/– में खरीद कर रसीद प्राप्त की। जिस पर प्रार्थी, विक्रेता एवं गवाहान के हस्ताक्षर है। तदन्तर चारों नमूना पाउचेज को गते के डिब्बों में अलग–अलग रखकर ढ़क्कन से बंद कर टेप से चिपकाया तथा चारों डिब्बों पर एक–एक लेबल गौंद से चिपकाया, नमूना डिब्बों को अलग–अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर कोड़ क्रमांक जे– 1430 को अंकित कर नियमानुसार सील चपड़ी किया तथा प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहों एवं स्वयं प्रार्थी ने हस्ताक्षर कर मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता ने पढ़कर, सुनकर सही मानकर हस्ताक्षर किये । उक्त पैकेटों में से एक सीलबन्द पैकेट मुख्य जन विश्लेषक एवं खाद्य विश्लेषक, राज. जयपुर को जांच हेतु भेजी गई। जिनके यहां से रिर्पोट LS./2383/Act/ 2017/2455 दिनांक 08.11.2017 के द्वारा जांच होकर कार्यालय को जांच रिर्पोट प्राप्त हुई जिसमें खाद्य पदार्थ भुजिया(श्रीराम ब्राण्ड) मिसब्राण्ड (मिथ्याछाप) पाया गया। प्रार्थनापत्र के अनुसार प्रार्थी का निवेदन है

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

कि अप्रार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ भुजिया(श्रीराम ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का विकय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के प्रावधानों का उल्लंघन किया है इसलिये धारा 52 के अनुसार खाद्य पदार्थ की क्वालिटी क्रेता की मांग के अनुसार नहीं होने के कारण निर्धारित शास्ति से दण्डित किया जावे ।

2. उक्ताशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री सी.एस. हर्ष अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की ओर से श्री मदनलाल बारूपाल ने वकालतनामा एवं जवाब पेश किया। तदन्तर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. प्रार्थी पक्ष की ओर से श्री महमूद अली, सुरक्षा अधिकारी ने प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि इस मामले में प्रार्थी निरीक्षक ने अप्रार्थीपक्ष के यहां नियमानुसार तरीके से खाद्य पदार्थ भुजिया(श्रीराम ब्राण्ड) का सैम्पल लिया जाकर प्रयोगशाला जयपुर में जांच करवाई गई। मुख्य जनविश्लेषक, एवं खाद्य विश्लेषक जयपुर से प्राप्त रिर्पोट के अनुसार इस मामले में The sample of " Bhujia (Sri Ram) bearing Code No. and Sr. No. J-1430 Misbranded Food under section 3(1)(zf)(c)(i) of food safety and standards Act. 2006 is it Contravene Regulation 2.2.2(10) of FSS (Packaging and Labelling) Regulation 2011 पाया गया है । इस प्रकार अप्रार्थी के यहां खाद्य पदार्थ भुजिया(श्रीराम ब्राण्ड) मिसब्राण्ड का पाया गया है जो धारा 26 उपधारा 2 (ii) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 का उल्लंघन है । प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी का निवेदन है कि इस मामले में अप्रार्थी को धारा 52 के तहत अधिक से अधिक जुर्माने से आरोपित किया जावे।

4. अप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता ने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि प्रार्थी की एक छोटी सी दुकान है जिससे अपने पूरे परिवार का पालन–पोषण करता है। प्रार्थी द्वारा पैक्ड पाउच भुजिया श्रीराम पापड़ प्रा.लि. से जरिये बिल खरीद किया था। प्रार्थी को निर्माता फर्म द्वारा आश्वस्त कर दिया कि उक्त पैक्ड भुजिया पाउच में भुजिया सही व उच्च स्तर का है, यदि पाउच या माल में निम्न स्तर का पाया जाता तो कम्पनी जिम्मेदार होगी इस शर्त पर ही प्रार्थी ने उक्त पैक्ड पाउच भुजिया खरीदा था। अतः प्रार्थी की कोई जिम्मेदारी नहीं है इसलिए अप्रार्थी संख्या 1 को दोषमुक्त करने के आदेश फरमाया जावे।

5. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के अधिवक्ता ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद के बिन्दुओं को अस्वीकार अपने जवाब में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि अप्रार्थीगण द्वारा ब्राण्डेड फूड का व्यापार किया जाता है, जो समय–समय पर जांच करने पर कभी मिसब्राण्ड नहीं आया है। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त पैक्ड पाउच भुजिया श्रीराम ब्राण्ड के उच्च क्वालिटी के तैयार कर विक्रय किये जाते है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त ब्राण्डेड सामान को विधिवत् तरीके से सील नहीं किया तथा बन्द डिब्बे में जिस तरीके से रखे गये तथा सील पैक किये गये थे वह कार्यवाही पूर्णतया विधिवत् नहीं की गई तथा सीलबन्द करते समय कमी रखी गई है जिस कारण जांच में मिसब्राण्ड आया है। प्रार्थी को मिसब्राण्ड की सूचना देरी से दी गई। इस कारण सूचना की अपील नहीं की जा सकी। परिवाद में मिसब्राण्ड से होने वाली हानि का विस्तार से कथन किया जाना आवश्यक है कि मिसब्राण्ड फूड के कारण से किस प्रकार की हानि हो सकती है । ऐसी स्थिति में परिवाद चलने योग्य नहीं है। अतः प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner

11. इसके साथ–साथ अप्रार्थीगणों को यह आदेश दिया जाता है कि आरोपित शास्ति राशि एक माह के भीतर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर के कार्यालय के माध्यम से राज्य के आय मद 0210– चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य में जरिये चालान जमा करावें। निर्धारित अवधि में राशि जमा न होने की अवस्था में धारा 96 के तहत व्यतिक्रमियों की अनुज्ञाप्ति निलम्बित की जावें तथा राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्यवाही की जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 24.09.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया । निर्णय की प्रति अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बीकानेर एवं अप्रार्थीपक्ष संख्या 1 ता 3 के प्राधिकृत प्रतिनिधि (अधिवक्ता) को पालनार्थ एवं आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

(ए.एच.गौरी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति. जिला कलक्टर(प्रशा) बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

Scanned by CamScanner